भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1126
बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण , 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भण्डारण योजना

1126. **श्री ईरण्ण कडाडी:**
श्री सतीश चंद्र दुबे:
ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.):
श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023 में अनुमोदित "सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भण्डारण योजना" और इसके मुख्य उद्देश्य एवं इससे होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पहल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) खाद्यान्न भण्डारण से संबंधित समस्याओं को दूर करके किसानों एवं उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने में इस पहल से क्या आशाएं हैं ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सरकार ने 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को मंजूरी दे दी है, जिसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जा रहा है । इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अभिसरण से पैक्स स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं, जैसे कि, गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित दर की दुकानों, आदि की स्थापना शामिल है।

पैक्स स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना से पर्याप्त भंडारण क्षमता सृजित होगी, जिससे खाद्यान्न की बर्बादी में कमी आएगी, देश की खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होगी, फसलों की विवशतापूर्ण बिक्री को रोका जा सकेगा और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चूंकि पैक्स खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के रूप में भी काम करेंगे, इसलिए खाद्यान्न केंद्रों तक खाद्यान्न ले जाने और फिर भांडागारों से उचित मूल्य की दुकान तक उसे वापस लाने पर होने वाले परिवहन व्यय में भी बचत होगी ।

इसके अतिरिक्त, परियोजना के तहत पैक्स स्तर पर बनाई जा रही भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और राष्ट्रीय सहकारी संघों जैसे कि, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 1,711 पैक्स की पहचान की गई है। वर्तमान में, पायलट परियोजना के तहत 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 13 पैक्स में निर्माण कार्य चल रहा है।

पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण से किसानों और उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभों सहित विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे:

i. किसान पैक्स में निर्मित गोदामों में अपनी उपज भंडारित कर सकेंगे और अगले फसल चक्र के लिए तात्कालिक वित्त प्राप्त कर इच्छानुसार समय पर उसे बेच सकेंगे, या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर पैक्स को अपनी पूरी फसल बेच सकेंगे जिससे उन्हें अपनी फसलों की कम दरों पर मजबूरन बिक्री नहीं करनी पड़ेगी।

ii. उन्हें पंचायत/गांव स्तर पर ही विभिन्न कृषि निविष्टियां या सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

iii. व्यवसाय के विविधीकरण से किसानों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत प्राप्त हो सकेंगे।

iv. खाद्य आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला के साथ एकीकरण द्वारा किसान अपने बाज़ार का विस्तार करके अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे।

v. पैक्स स्तर पर पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल पश्चात नुकसान में कमी लाने में मदद मिलेगी जिसके फलस्वरूप किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेंगे।

vi. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह योजना देश भर में पंचायत/ग्राम स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

*****